भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जनपद आगरा में आगरा एयरपोर्ट एयरफोर्स बेस के निकट सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु अपर जिलाधिकारी महोदय (भू0 अध्याप्ति), आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2018 को अपरान्ह 3.30 बजे आगरा एयरपोर्ट पर एयरफोर्स बेस के निकट सिविल एन्क्लेव के प्रस्तावित स्थल पर सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जनपद आगरा में आगरा एयरपोर्ट एयरफोर्स बेस के निकट सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु अपर जिलाधिकारी महोदय (भू0 अध्याप्ति), आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2018 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्न है।

सर्वप्रथम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जनपद आगरा में आगरा एयरपोर्ट एयरफोर्स बेस के निकट सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533, दिनांक 14.09.2006 के अर्न्तगत आच्छादित होने के कारण इस लोक सुनवाई हेतु नियमानुसार जनपद आगरा के दो प्रमुख समाचार पत्रों अमर उजाला में दिनांक 04.08.2018 व हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 05.08.2018 को आमसूचना का प्रकाशन कराया गया। पर्यावरणीय दृष्टि से परियोजना के विरोध में दिनांक 06.09.2018 के अपरान्ह में ई–मेल के माध्यम से श्री उमाशंकर पटवा पुत्र श्री सुन्दरलाल पटवा का आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है (संलग्न)।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोकसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसके अर्न्तगत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपस्थित अधिकारीगण एवं जनमानस को संदर्भित परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त प्रकाश डाला गया।

प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के लाभ और महत्व

आगरा एयरपोर्ट पर वायु यात्रियों संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिये आगरा में भारतीय वायु सेना बेस से बाहर से एयरपोर्ट प्रचालन के लिए आगरा वायु सेना बेस के निकट प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। आगरा पर प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ इस प्रकार हैः–

- यात्रियों के लिए बेहतर आधारभूत संरचना।
- पर्यटन और व्यवसायिक गतिविधि बढ़ने से क्षेत्रीय अर्थ–व्यवस्था में बढ़ोतरी होगी।
- राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, अतः क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास होगा।
- पर्यटन में उछाल और प्रदेश में और अधिक लोग यात्रा करेंगें।
- लेगों को रोजगार के अवसर।
- अधिक व्यापार और औद्योगिक सम्बन्धी अवसर।

Scanned by CamScanner

प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव का प्रमुख कार्य क्षेत्र।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आगरा एयरपोर्ट पर एयरफोर्स बेस के निकट, प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के विकास का प्रस्ताव किया है जिसमें चार A 321 प्रकार के दो विमानों के साथ कोड E प्रकार वायुयानों हेतु Mars विन्यास के साथ पार्किंग के लिए एप्रोन का निर्माण, लिंक टैक्सी ट्रैक, IMG मानकों के अनुसार 700 यात्रियों के लिए (500 घरेलू और 200 अंतर राष्ट्रीय) टर्मिनल भवन, 350 कारों के लिए मल्टीलेवल कर पार्किंग , 5 बसों और 20 VIP कारों के लिए सतह पार्किंग का प्रावधान है।

प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के लिए भूमि

प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के लिए उ0प्र0 सरकार द्वारा 49.8 एकड़ भूमि आवश्यक भूमि विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी है। इस भूमि का वर्तमान भू –उपयोग पड़ती पड़ती भूमि है, जो प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के लिए स्थाई रूप में परिवर्तित हो जाएगी। प्रस्तावित सिविल एनक्लेव के लिए भूमि सभी बाधाओं से रहित है।

संभावित पर्यावरणीय प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय

स्थलाकृति एवं आकारकृति

अध्यन क्षेत्र की स्थलाकृति समतल है। आगरा पर प्रस्तावित सिविल एल्क्लेव के निर्माण के लिए, कोई सार्थक खुदाई और मिट्टी की भराई की आवश्यकता नहीं है।

रोकथाम के उपाय

- निर्माण स्थल पर भूमि की सफाई को न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र तक सीमित रखा जायेगा।
- निर्माण का अभिकल्पन ऐसा होगा जिससे मिट्टी के भराव को न्यूनतम किया जा सके।
- बॉरो मिट्टिया केवल वैध बॉरो क्षेत्रों से ही प्राप्त की जायेगी जिनके पास जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) के पर्यावरण के पर्यावरण स्वीकृति हो।

परियोजना के संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के पश्चात प्राप्त निम्नलिखित आपत्ति/सुझाव पर चर्चा की गईः–

नाम – श्री महाराज राजपूत
निवासी – कल्याणपुर धनौली, आगरा।
प्र0 – दिनांक 16.09.2016 को तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्रस्ताव भेजा गया था तो फिर अब सिविल इन्क्लेव क्यों ? किसान की जमीन क्यों नहीं ली जा रही है ? गॉव की 3.5 हेक्टेयर जमीन छोड़ दी गयी है जिसमें आवागमन का रास्ता बंद हो जायेगा। रजिस्ट्री पूरी जमीन की ही की जाये तथा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने का रिमाइन्डर प्रेषित किया जाये।
उ0– श्री विनोद कुमार गौतम, ई0आई0ए0 कोर्डीनेटर द्वारा अवगत कराया गया कि यह अन्तर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट के लिये ही लोकसुनवाई का आयोजन किया गया है। मिलेट्री से अलग होने के कारण इस सिविल इन्क्लेव नाम दिया गया है। यह आम जनता के लिये ही हवाई अड्डा बनाया जा रहा है जिसमें घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने संचालित होंगी।

Scanned by CamScanner

श्री विनोद कुमार सिंह, निदेशक कार्यवाहक भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि किसी भी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का कार्य सरकार का होता है।

प्र0 – नाम – श्री अरविन्द कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूछा गया कि कन्स्ट्रकशन मैनेजमेण्ट किस प्रकार किया जायेगा? क्या पर्यावरणीय प्रबन्धन हेतु 1.5 करोड़ का बजट प्रर्याप्त है? क्या सी0जी0डब्ल्यू0ए0 की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी? हरित पट्टिका का क्षेत्रफल कितना रहेगा ?

उ0– श्री विनोद कुमार गौतम, ई0आई0ए0 कोर्डीनेटर द्वारा अवगत कराया गया कि कन्स्ट्रकशन मैनेजमेण्ट के अर्न्तगत 10 फिट ऊँची बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जायेगी तथा नियमित पानी का छिड़काव किया जायेगा। सी0जी0डब्ल्यू0ए0 की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्तावित परियोजना में बोरवेल स्थापित किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में 33% से अधिक क्षेत्रफल पर छायादार वृक्षों का रोपण किया जायेगा।

प्र0 – नाम – श्री राम किशन

निवासी – कल्याणपुर धनौली, आगरा।

प्र0 – प्रस्तावित एयरपोर्ट की बाउण्ड्री से कितनी दूरी पर मकान होने चाहियें ? परियोजना निर्माण हेतु मेरी जमीन क्यां नहीं ली गई है ? जबकि आसपास के अन्य लोगों की जमीन ली जा चुकी है।

उ0– विनोद कुमार सिंह, निदेशक कार्यवाहक भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि एयरपोर्ट बाउण्ड्री वाल से 100मी0 की दूरी पर मकान का निर्माण होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि आप एक शिकायती पत्र कार्यालय में जमा करा दीजिये, इसकी जॉच करा ली जायेगी।

प्र0 – डॉ0 विश्वनाथ शर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा पूछा गया गया कि प्रस्तावित परियोजना की ताजमहल से दूरी कितनी है। पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? परियोजना में कितने रेन वाटर होर्वेस्टिंग पिट्स स्थापित किये जायेगें।

उ0– श्री विनोद कुमार गौतम, ई0आई0ए0 कोर्डीनेटर द्वारा बताया गया कि ताजमहल से परियोजना की हवाई दूरी 10किमी0 से अधिक है। परियोजना में मात्र 450 किलोवाट क्षमता के दो गैस जेन सेट स्थापित किये जायेगें जिसका संचालन कास्केड गैस बैंक के माध्यम से किया जायेगा। परियोजना में कुल 21 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स स्थापित किये जायेगें।

Scanned by CamScanner

लोकसुनवाई के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (भू0 अध्याप्ति), आगरा द्वारा उपरोक्त वर्णित आश्वासन/सहमति के आधार पर शत प्रतिशत अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ परियोजना के कियान्वयन हेतु सहमति प्रदान की गई। उक्त के आधार पर लोक सुनवाई सदन द्वारा सर्वसम्मति के साथ निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रस्ताव अग्रसारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

1. राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति, टी0टी0जेड0 अथॉरिटी से अनुमति एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त किये बिना परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ न किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सम्बन्धित विभागों से नियमानुसार अनापत्ति/क्लीयरेंस प्राप्त कर ली जाए।
3. वृक्षों के पातन की दशा में नियमानुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय से यथावश्यकतानुसार अनुमति प्राप्त की जाए।
4. परियोजना हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के दृष्टिगत ही विकास कार्य कराया जायें।
5. निर्माण के समय होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.01.2018 को जारी नोटिफिकेशन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. यह सुनवाई केवल प्रस्तावित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जनपद आगरा में आगरा एयरपोर्ट एयरफोर्स बेस के निकट सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु है तथा इसके अंतर्गत अन्य कार्य आदि के लिए पृथक रूप से आवश्यकतानुसार अनुमतियॉ/क्लीरेंस प्राप्त किया जाए।
7. परियोजना संचालन के समय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 588(ई) दिनांक 18.06.2018 द्वारा विमानपत्त ध्वनि परिक्षेत्र में ध्वनि के मानकों का आक्षरशः अनुपालन किया जाये।
8. जनपद आगरा एवं सम्पूर्ण परियोजना स्थल टी0टी0जेड0 के अर्न्तगत स्थित है एवं परियोजना की स्थापना/संचालन मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं टी0टी0जेड0 अथॉरिटी द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश/निर्देश के अनुसार ही की जायेगी।

अंत में सभी उपस्थित सदस्यों एवं जनमानस का अभार प्रकट करते हुए लोक सुनवाई सम्पन्न हुई।

संलग्नकः– वीडियो सीडी एवं ईमल से प्राप्त आपत्ति दिनांक 06.09.2018

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

11.9.18
(एस0पी0 सिंह)
अपर जिलाधिकारी (भू0 अध्याप्ति),
आगरा।

Scanned by CamScanner